



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163]
No. 163]नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अप्रैल 20, 2006/चैत्र 30, 1928
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 20, 2006/CHAITRA 30, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2006

सा.का.नि. 236(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के अधिनियम सं. 38) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (i) के अनुसरण में और भारत सरकार के पहले के पोत परिवहन मंत्रालय, पत्तनपक्ष की दिनांक 14 मई, 2004 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 317(अ) को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा नीचे दर्शाई जा रही तालिका के कॉलम सं. (3) में उल्लिखित उन व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करती है, जिन्हें चेन्नई पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाना है :—

तालिका

क्रम संख्या	प्रतिनिधित्व किए जाने वाले हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	पत्तन में नियोजित श्रमिक	2
2.	समुद्रीय वाणिज्यिक विभाग	1
3.	तमिलनाडु की राज्य सरकार	1
4.	सीमा-शुल्क विभाग	1
5.	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग	1
6.	तट रक्षक	1
7.	रक्षा सेवाएं (नौसेना)	1
8.	भारतीय रेल	1
	जोड़	9

[फा. सं. पी टी-18011/4/2005-पी टी]

अजय कुमार भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Shipping)****(PORTS WING)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th April, 2006

G.S.R. 236(E).—In pursuance of Sub-clause (i) of clause (c) of Sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping (Ports Wing) G.S.R. No. 317(E) dated 14th May, 2004, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (3) of the Table below to be appointed to represent the interests mentioned in column (2) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Chennai.

TABLE

Sl. No.	Interests to be represented	Number of persons to be appointed
1	2	3
1.	Labour employed in the Port	2
2.	Mercantile Marine Department	1
3.	State Government of Tamil Nadu	1
4.	Department of Customs	1
5.	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping	1
6.	Coast Guard	1
7.	Defence Services (Navy)	1
8.	Indian Railways	1
TOTAL		9

[F.No. PT-18011/4/2005-PT]

A. K. BHALLA, Jt. Secy.